



पत्रांक- वाई.ई.ए./ PROP/ 60 /2017

दिनांक: 28.09.2017

सार्वजनिक सूचना

- प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के आवंटियों को निम्नलिखित सुविधा अनुमत्य की गई है:-
1. किशतों की अदायगी हेतु आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के लिये अक्टूबर/नवम्बर, 2013 से अक्टूबर/नवम्बर, 2016 तक की अवधि को शून्य काल घोषित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आवंटी द्वारा अपनी किशतों का भुगतान नवम्बर, 2019 तक अथवा प्लॉट पर भौतिक कब्जे की तिथि, जो पहले हो, तक किया जाये तथा तदनुसार किशतों का निर्धारण किया जाये।
 2. प्राधिकरण की आवासीय भवन योजना बी0एच0एस0-04/2014 एवं बी0एच0एस0-05/2015 में आवंटित बहुमंजिले भवनों के आवंटी चाहे तो प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों की योजना में रिक्त हुए भवनों में पत्र जारी होने के 1 माह के अन्दर शिफ्ट होने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भवन को समर्पण करके अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) वापस ले सकते हैं।

(संत कुमार)
विशेष कार्याधिकारी